International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 27-09-2025, Accepted: 27-10-2025, Published: 11-11-2025
Volume 7, Issue 4, 2025, Page No. 68-71

गांधीजी का मानवतावादी दर्शन और अन्तर्जातीय विवाहः वैश्विक समता की दिशा में एक कदम

विधि वर्मा[1], डॉ. मीरा सिंह[2]

[1] रिसर्च स्कॉलर, समाजशास्त्र विभाग, आगरा कॉलेज, डॉ. भीमराव आम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत

[2] प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, आगरा कॉलेज, डॉ. भीमराव आम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति प्रथा, सांस्कृतिक असमानता और भेदभाव अन्तर्जातीय विवाहों के लिए अभिशाप स्वरूप रहे हैं। यद्यपि अन्तर्जातीय विवाह के अन्तर्गत दो विभिन्न जाति या उपजाति के व्यक्तियों का आपस में विवाह होता है, यह अनुलोम और प्रतिलोम के रूप में प्रचलित हो सकते हैं, इस प्रकार के विवाहों का प्राचीन काल में भी अनेकों उदाहरण मिलते है। जातिगत रूढ़ियों से बंधे समाज में भी गांधीजी ने अन्तर्जातीय विवाह का समर्थन में स्त्री–पुरुष की समानता में विश्वास की बात रखी, कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। हरिजन संस्करण महात्मा गांधी का महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार की खिलाफत, मानवतावादी दर्शन, सत्य, अहिंसा, समानता और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित है। महात्मा गांधी ने जातिवाद में अस्पृश्यता, भेदभाव और सामाजिक असमानताओं को मिटाने का प्रयास तथा उन्मूलन के लिए सामाजिक सुधार का आह्वान किया। उनके अनुसार, जब दो भिन्न जातियों के लोग विवाह करते हैं, तो वे जातिवाद की दीवारें तोड़ते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति को सामाजिक बंधनों से मुक्त कर समानता और मानवता की स्थापना की दिशा में अग्रसर करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो अन्तर्जातीय विवाह सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करता है। गांधीजी के विचार समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम के सामाजिक एकता सिद्धांत के समान ही हैं, जहाँ समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और सहयोग को आवश्यक माना गया। आज भारत में शिक्षा, शहरीकरण और कानूनी प्रावधानों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के कारण अन्तर्जातीय विवाहों को बल मिला है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित विरोध, सम्मान हत्याएँ और सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। गांधीजी के समानता और स्वतंत्रता के विचारों ने स्वतंत्र भारत के नीति–निर्माताओं को प्रभावित किया जिसके अन्तर्गत विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा ऐसे विवाहों को कानूनी संरक्षण भी दिया है। यह आलेख गांधीजी के मानवतावादी दर्शन को अन्तर्जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक और वैश्विक समानता के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करता है तथा आधुनिक भारत में इन विचारों की प्रासंगिकता को भी रेखांकित करता है।

मूल शब्दः मानवतावाद, अन्तर्जातीय विवाह, जाति, समता, वैश्विक प्रासंगिकता, गांधीवादी विचारधारा आदि

प्रस्तावना

प्राचीनकाल से ही जाति व्यवस्था ने भारतीय सामाजिक संरचना, विवाह, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय, और विवाह को गहराई से प्रभावित किया है। महात्मा गांधी ने इस व्यवस्था को मानव गरिमा के लिए अत्यन्त गंभीर माना और इसके उन्मूलन का आह्वान किया। गांधीजी का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था, जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी कर्मनिष्ठा और नैतिकता से हो, न कि उसकी जाति से। उनका विश्वास था कि "मनुष्य ईश्वर के समान है, कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या हीन नहीं होता अर्थात् सभी मनुष्यों में ईश्वर का अंश विद्यमान है। गांधीजी का मानवतावाद केवल विचारधारा ही नहीं बल्कि जीवन की एक प्रक्रिया थी, जिसमें सत्य, अहिंसा, सेवा और समानता मुख्य तत्व भाामिल थे। समाज में व्याप्त छुआछूत, कुरीतियां और जातिगत भेदभाव को मानवता के विरुद्ध होने वाले आचरण पर गांधीजी के विचारों ने कुठाराघात किया। इस संदर्भ में उन्होंने अन्तर्जातीय विवाह को एक ऐसे नैतिक साहस के रूप में देखा जो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर व्यक्ति को स्वतंत्र सोच और समानता के मार्ग पर ले जाता इसलिए अन्तर्जातीय विवाह को उन्होंने इस दिशा में एक सशक्त कदम बताया, क्योंकि यह न केवल दो व्यक्तियों का मिलन है, बल्कि दो जातियों,दो संस्कृतियों और दो मानसिकताओं का समन्वय भी है।

गांधीजी का चिंतन भारतीय परम्परा, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित था। उन्होंने जाति व्यवस्था के भीतर सुधार की वकालत की, लेकिन उसके अत्याचार और अस्पृश्यता के विरुद्ध दृढ़ आवाज उठाई, गांधीजी का मानना था कि जाति का उद्देश्य श्रम–विभाजन था, न कि ऊँच–नीच का भेद। परन्तु जब यह सामाजिक अन्याय और भेदभाव का माध्यम बन गई, तो इसे समाप्त करना आवश्यक था।

अध्ययन का उद्देश्य

- गांधीजी के मानवतावादी दर्शन का विश्लेषण करना।
- अन्तर्जातीय विवाह की सामाजिक भूमिका को समझना।
- गांधीजी के विचारों की आधुनिक और वैश्विक प्रासंगिकता को प्रस्तुत करना।

साहित्यावलोकन

बी नंदा (1985), ''महात्मा गांधीः अ बायोग्राफी'' में गांधी जी के विचार केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। उनकी में किताब गांधी जी के समानता और प्रेम को धार्मिक तथा सामाजिक नैतिकता के मूल को मानते हैं जो हर व्यक्ति में ईश्वर के भाग को देखने का भाव उत्पन्न करता है। लेखक ने अन्तर्जातीय विवाह पर विशेष रूप से चर्चा नहीं कर सके परंतु वे स्वीकार करते हैं कि गांधी जी के विचारों में मनुष्य, मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका मानवतावाद अन्तर्जातीय विवाह जैसे सामाजिक विचारों का समर्थन करता है। गांधी जी का मानववाद सार्वभौमिक और नैतिक दृष्टि पर आधारित जातिवाद के विरोध में प्रेम का संदेश गांधी जी के विचारों की सामाजिक परिवर्तन में उपयोगिता को दर्शाता है।

पारेख, भीखू. (1997), ''गांधीः ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन'' ग्रंथ में गांधी जी के राजनीतिक धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा के प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार गांधी केवल एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक नैतिक मार्गदर्शन, मानववाद, करुणा और सार्वभौमिक नैतिकता पर आधारित था। गांधी ने जाति, धर्म, वर्ग और राष्ट्र से ऊपर उठकर मानवता के वैश्विक मूल्य का समर्थन किया विशेषतः गांधी का समाज सुधारक दृष्टिकोण विवाह और परिवार को भी नैतिक सुधार के केंद्र में रखता है। उनके अनुसार यदि विवाह प्रेम, समानता और आत्मिक बंधन पर आधारित हो तो वह गांधीवादी मानववाद विचारधारा अन्तर्जातीय विवाह को मानवीय समानता का व्यावहारिक रूप में अपनाने को प्रेरित करती है।

कुमार, संजीव (2021), ''भारत में अन्तर्जातीय विवाह और सामाजिक परिवर्तनः गांधीवादी परिप्रेक्ष्य मे'' में यह रिसर्च पेपर अन्तर्जातीय विवाह और गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। लेखक के अनुसार गांधी जी के मानवतावादी मूल जब तक सशक्त नहीं होंगे तब तक भारत में जाति प्रथा के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल कानूनी प्रावधान भी पर्याप्त नहीं होंगे। उनके अनुसार अन्तर्जातीय विवाह गांधी जी के मानवतावाद की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है क्योंकि यह जातीय भेदभाव को नकारती है और समाज में प्रेम, समानता और सामाजिक एकता की स्थापना करती है। उनके शोध से स्पष्ट होता है कि गांधीवादी मानववाद वर्तमान में भी सामाजिक समानता और वैश्विक एकता के लिए प्रासंगिक है।

मदान टी एन (2003), ''द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलिजन इन इंडिया'' में भारतीय समाज में धर्म और समाज के संबंधों में गांधी जी की मानववादी भूमिका को समाजशास्त्रीय दृष्टि से व्याख्या देते हैं।

अंबेडकर, बी, आर, (1945), ''एनीहिलेशन आफ कास्ट'' में अन्तजर्ातीय विवाह को सामाजिक समानता के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन कहा, इन्होंने समाज के निर्माण में अन्तर्जातीय विवाह को एक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक पद्धति पर आधरित है क्योंकि यह एक वैचारिक और समाजशास्त्रीय अध्ययन है। इस शोध पत्र लेखन हेतु लेखिका ने द्वितीयक सामग्री का उपयोग में गांधीजी के लेखन और भाषण, अन्य समाजशास्त्र की पुस्तकें, शोध पत्र–पत्रिकाएं, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री उसमें प्रकाशित शोध पत्रों का अध्ययन किया, जिसके आधार पर शोध पत्र का निष्कर्ष निकाला है।

गांधीजी का मानवतावादी दर्शन

गांधीजी के अनुसार, मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य "सत्य की खोज" है, गांधीजी सच को ईश्वर का पर्याय मानते थे इसलिए उन्होंने सच को सिद्ध करने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। अहिंसा का अर्थ होता है ऐसा व्यवहार जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा ना लिया जाए, जो हमारे मन, वचन, कर्म आदि सभी पर लागू होना चाहिए। इसलिए वह कहते हैं कि विश्व के सभी जीवों से प्रेम करो। गांधी जी का मूलतः दर्शन का उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना और उन्हें आत्म नियंत्रण और आत्म सम्मान की क्षमता को स्थापित करने के लिए स्वराज की अवधारणा को प्रेरित किया और यही दृष्टिकोण उनके मानवतावाद की आत्मा है। गांधीजी के अनुसार "मैं किसी व्यक्ति को उसकी जाति या धर्म से नहीं बल्कि उसके चरित्र से पहचानता हूँ।" उनका मानवतावाद भारतीय परंपरा के "वसुधैव कुटुम्बकम" की भावना से जुड़ा हुआ था अर्थात, समस्त विश्व एक परिवार है इसलिए उन्होंने मानवता को किसी राष्ट्र या समुदाय तक सीमित नहीं किया बल्कि समग्र विश्व में समानता और बंधुत्व की भावना को फैलाने का प्रयास किया।

जाति व्यवस्था पर गांधीजी के विचार

भारत में जाति व्यवस्था का उद्भव सामाजिक संगठन के रूप में हुआ, परन्तु धीरे–धीरे यह असमानता और भेदभाव का माध्यम बन गई। यद्यपि समय के साथ शिक्षा, लोकतंत्र और औद्योगीकरण ने इस व्यवस्था को चुनौती दी है, फिर भी इसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज में गहराई से मौजूद है। गांधीजी ने जाति व्यवस्था को ऐसा अमानवीय बंधन माना जो व्यक्ति को उसकी मानवीय पहचान से वंचित करता है। गांधीजी के अनुसार वर्णव्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज में कार्य विभाजन था, परन्तु यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो सामाजिक अन्याय का स्रोत बनती गई। महात्मा गांधी का सामाजिक चिंतन भारतीय संस्कृति, धर्म और नैतिकता पर आधारित था इसलिए गांधी जी ने जातिवाद के स्थान पर आर्थिक और नैतिक समानता को आधार बनाने का प्रयास किया। गांधीजी ने अस्पृश्यता को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा रूप बताया। उन्होंने हरिजन आंदोलन के माध्यम से समाज में समानता और आत्मसम्मान की भावना फैलाने का प्रयास किया। गांधीजी ने जाति आधारित विवाह का विरोध भी किया कि जब तक व्यक्ति की जाति उसके विवाह के अधिकार को सीमित करेगी, तब तक समाज में सच्ची समानता संभव नहीं है। इसी संदर्भ में उन्होंने अन्तर्जातीय विवाह का समर्थन किया क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक ठोस कदम था।

अन्तर्जातीय विवाह का सामाजिक स्वरूप

अन्तर्जातीय विवाह भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह न केवल दो व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध का विषय है, बल्कि दो सामाजिक समूहों के बीच समानता और संवाद का सूचक भी है। विवाह दो प्रकार के होते हैं– अंतर्विवाह और बर्हिववाह। अंतर्विवाह के अंतर्गत दो व्यक्ति अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अन्तर्जातीय विवाह विभिन्न जातियों को एक साथ लाकर पारंपरिक सामाजिक सीमाओं को चुनौती देता है। इस तरह के विवाह का उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव को तोड़ना और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना होता है। हिंदू धर्म में विवाह महत्वपूर्ण संस्कारों में एक माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह के आठ विवाहों में एक विवाह गंधर्व विवाह भी होता है जिसमें मूलता प्रेम विवाह भी कहा जाता है। वोगार्डस कहते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। मरडॉक के अनुसार ''सभी समाज में विवाह के तीन उद्देश्य होते हैं यौन संतुष्टि आर्थिक सहयोग संतानों का सामाजीकरण एवं लालन पालन।'' अतः अन्तर्जातीय विवाह वह विवाह होता है जिसमें पति और पत्नी भिन्न जातियों या उपजातियों से संबंधित होते हैं, जिसमें दो व्यक्ति अलग–अलग जातियों से होते हुए भी विवाह करते हैं, जैसे– यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति से है और वह किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति के व्यक्ति से विवाह करता है, एसे विवाह को ही अन्तर्जातीय विवाह कहते है। समाजशास्त्र में एसे विवाह को बाह्य/बर्हि विवाह (एग्जोगेमी) कहा जाता है अर्थात् जब व्यक्ति अपने समूह (जाति, गोत्र या वर्ग) से बाहर जाकर विवाह करता है। एसे विवाह सामाजिक समानता और मानवता के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करता है। यह जाति व्यवस्था की कठोरता को कम करने में मदद करता है साथ ही यह नए सामाजिक मूल्यों जैसे प्रेम, स्वतंत्रता और समानता को भी बढ़ावा देता है।

गांधीजी के दृष्टिकोण से अन्तर्जातीय विवाह का महत्व

गांधीजी के समय में जब समाज जातिगत रूढ़ियों से बंधा हुआ था, तब अन्तर्जातीय विवाह को विद्रोह का कार्य माना जाता था।

बावजूद इसके, गांधीजी ने इसका समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवता के प्रति आस्था का प्रतीक है। उनके अनुसार, जब दो भिन्न जातियों के लोग विवाह करते हैं, तो वे जातिवाद की दीवारें तोड़ते हैं और मानवता की एक नई परिभाषा गढ़ते हैं। यदि कोई युवक या युवती जाति की परवाह किए बिना विवाह करता है, तो वह जाति प्रथा पर एक नैतिक प्रहार करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो अन्तर्जातीय विवाह सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करता है। गांधीजी के विचार समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम के सामाजिक एकता सिद्धांत के समान ही प्रतीत होते हैं, जहाँ समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और सहयोग को आवश्यक माना गया। गांधीजी का दृष्टिकोण इस सिद्धांत से मेल खाता है, क्योंकि उन्होंने विवाह को केवल पारिवारिक संस्था नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक माना। उन्होंने कहा कि "समानता केवल कानून से नहीं आएगी, वह जीवन के व्यक्तिगत निर्णयों से आएगी।" इस प्रकार, अन्तर्जातीय विवाह वैयक्ति स्तर पर लिए गए निर्णय के माध्यम से सामूहिक परिवर्तन का कारण बन सकता है। गांधीजी का यह दृष्टिकोण उस समय के सामाजिक ढांचे के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने विवाह को केवल पारिवारिक संस्था के साथ–साथ नैतिक और सामाजिक समानता के रूप में भी देखा। गांधीजी का सहयोग केवल विचारों तक सीमित नहीं था, उन्होंने व्यवहारिक रूप से भी समानता की भावना को प्रोत्साहित किया। उनके आश्रम साबरमती और वर्धा में विभिन्न जातियों और वर्गों के लोग एक साथ रहते, भोजन करते और श्रम करते थे। उनके सहयोग की यह विशेषता थी कि वे सतत सामाजिक परिवर्तन के समर्थक थे, 1932 में गांधीजी ने 'हरिजन आंदोलन' प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य था दलितों और तथाकथित निम्न जातियों को समाज में समान स्थान दिलाना। इस आंदोलन के माध्यम से गांधीजी ने लोगों को प्रेरित किया कि वे हरिजनों के साथ समान व्यवहार करें और उन्हें शिक्षा, रोजगार और विवाह में समान अवसर दें। उन्होंने स्पष्ट कहा "यदि एक उच्च जाति का व्यक्ति हरिजन कन्या से विवाह करता है, तो यह जातिवाद की जड़ें हिला देने वाला कदम होगा।" यह कथन दर्शाता है कि गांधीजी न केवल वैचारिक रूप से बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी अन्तर्जातीय विवाह को जाति उन्मूलन का साधन मानते थे। उनकी दृष्टि में अन्तर्जातीय विवाह एक नैतिक साहस था, जो समाज के अन्यायपूर्ण ढांचे को चुनौती देता है। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अस्पृश्यता के विरोधी हैं, तो उन्हें अपने जीवन में इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने स्वयं अपने आश्रमों में ऐसी शादियों को प्रोत्साहित किया जहाँ जाति या धर्म का भेदभाव न हो। गांधीजी का मत था कि अन्तर्जातीय विवाह से न केवल सामाजिक समानता बढ़ती है बल्कि यह मन की शुद्धता और मानवता की स्वीकृति का प्रमाण भी है। यदि समाज को जातिवाद से मुक्त करना है, तो अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चूँकि गांधीजी ने अन्तर्जातीय विवाह को नैतिक और सामाजिक रूप से उचित ठहराया, उन्होंने इसे एक व्यक्तिगत और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखा, न कि क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में। वे चाहते थे कि ऐसे विवाह प्रेम, समर्पण और नैतिक मूल्यों पर आधारित हों, न कि विद्रोह या दिखावे पर। यदि हिंदू समाज को अपनी आत्मा को बचाना है, तो उसे जातिवाद की बेड़ियों को तोड़कर एक होना होगा जिसमें अन्तर्जातीय विवाह इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

वैश्विक समानता और गांधीजी के विचार

गांधीजी का मानवतावाद केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उनके विचारों ने विश्वभर में नस्लीय भेद–भाव, उपनिवेशवाद और हिंसा के विरुद्ध आंदोलनों को भी प्रेरित कियाहै। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और लियू शाओबो जैसे नेताओं ने गांधीजी के विचारों को अपनी सामाजिक संघर्ष यात्रा के दौरान अपनाया। आज भारत में शिक्षा, शहरीकरण और कानूनी प्रावधानों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के कारण अन्तर्जातीय विवाहों की संख्या बढ़ी है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित विरोध, सम्मान हत्याएँ और सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। ऐसे में गांधीजी के विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाते भारत का संविधान (1950) अनुच्छेद 15 के तहत जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा ऐसे विवाहों को कानूनी संरक्षण भी दिया है। ये दोनों व्यवस्थाएँ गांधीजी के समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को मूर्त रूप देती हैं। गांधीजी ने प्रत्यक्ष रूप से भले ही किसी कानून का प्रारूप नहीं बनाया, पर उनके विचारों ने स्वतंत्र भारत के नीति–निर्माताओं को प्रभावित किया।

वर्तमान में युवाओं के दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है, शिक्षा और वैश्वीकरण के कारण अब अधिकांतः लोग प्रेम और समानता के आधार पर विवाह करते हैं। गांधीजी के विचारों से प्रेरित होकर कई सामाजिक संगठनों जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, और सेवा संघों ने अन्तर्जातीय विवाह को खुलकर समर्थन दिया। आर्य समाज ने तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए खुले तौर पर मंच प्रदान किया, जो गांधीजी की समता की भावना का व्यावहारिक उदाहरण था। हालांकि इन सबके बावजूद समाज में अभी भी अन्तर्जातीय विवाहों की स्वीकृति सीमित है। ग्रामीण इलाकों में आज भी जातिगत पूर्वाग्रह बने हुए हैं। कई बार अन्तर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति गांधीजी की उस भावना के विपरीत है, जिसमें वे सभी मनुष्यों को "ईश्वर का समान अंश" मानते थे। आधुनिक युग में जब दुनिया नस्ल, धर्म और वर्ग के आधार पर विभाजित हो रही है, गांधीजी का मानवतावादी दृष्टिकोण और भी प्रासंगिक हो गया है। अन्तर्जातीय विवाह की तरह ही अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्सांस्कृतिक विवाह भी आज वैश्विक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गांधीजी का यह संदेश कि "सच्ची सभ्यता वह है जो व्यक्ति को आत्मसंयम और करुणा सिखाती है" आज के समय में विश्व शांति और सामाजिक न्याय की नींव के रूप में देखा जा सकता है।

आलोचनात्मक विश्लेषण

गांधीजी के विचारों की एक सीमा यह रही कि उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उसके नैतिक सुधार पर बल दिया। कुछ आलोचकों जैसे डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे अपर्याप्त माना और कहा कि जब तक जाति की जड़ें समाप्त नहीं होंगी, समानता संभव नहीं है। अंबेडकर का विचार था कि जब तक जाति व्यवस्था का अस्तित्व रहेगा, तब तक अन्तर्जातीय विवाहों की संख्या नगण्य रहेगी। यद्यपि, गांधीजी ने मुख्यतः इस बात पर बल दिया था कि समाज में चेतना लोगों को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करेगी और मानवीय एकता की दिशा में व्यावहारिक कदमके लिए भी प्रेरित करेगी । अन्तर्जातीय विवाह को गांधीजी ने जिस प्रकार एक नैतिक साहसिक और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक माना, वह आज भी प्रासंगिक है। भारत में बढ़ते अन्तर्जातीय विवाह यह प्रमाण हैं कि नई पीढ़ी गांधीजी के मानवतावाद की ओर बढ़ रही है, जहाँ व्यक्ति को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और चरित्र से आंका जाता है। हालाँकि गांधीजी ने अन्तर्जातीय विवाह का समर्थन किया, परंतु उन्होंने इसे कभी भी सक्रिय रूप से आंदोलन के रूप में नहीं अपनाया। गांधीजी का सहयोग इसलिए सीमित माना जा सकता है कि उन्होंने इस मुद्दे पर व्यापक नीतिगत या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं चलाया। वे इसे वैयक्तिक नैतिक साहस का विषय

मानते थे, न कि सामाजिक विद्रोह का। फिर भी, उनके नैतिक विचारों ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया, जिसने सामाजिक सुधार की दिशा में नए आंदोलन उत्पन्न किए। एनएफएचएस–5 (2021) के अनुसार, अन्तर्जातीय विवाह की दर केवल 5–6 प्रतिशत है।

निष्कर्ष

गांधीजी का मानवतावादी दर्शन भारतीय समाज के नैतिक पुनर्निर्माण का आधार है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि मानवता की सच्ची पहचान जाति, धर्म या भाषा से नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा से होती है। अन्तर्जातीय विवाह को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक नैतिक प्रयोग के रूप में देखा जो जातिगत बंधनों को तोड़कर समानता और एकता की राह प्रशस्त करता है। आज भी कई राज्य सरकारें अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएँ चला रही हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, हरियाणा, और तमिलनाडु में "अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना"। यह सब गांधीजी की उस भावना का विस्तार है जिसमें वे कहते हैं "सामाजिक सुधार केवल कानून से नहीं, नैतिक चेतना से संभव है।" वर्तमान में देखा जाता है कि युवा वर्ग प्रेम, समानता और स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित है। ये वही मूल्य हैं जिन पर गांधीजी का समाज आधारित था। सोशल मीडिया, इंटरनेट, शिक्षा और शहरीकरण की प्रक्रिया ने युवाओं को जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठने का अवसर दिया है। गांधीजी का "सर्वोदय" सिद्धांत वर्तमान में भी सामाजिक सामंजस्य के लिए मार्गदर्शन देता है। जब अन्तर्जातीय विवाह सामाजिक स्तर पर सामान्य हो जाएंगे, तब भारत वास्तव में उस "रामराज्य" की ओर बढ़ेगा, जिसका सपना गांधीजी ने देखा था, जहाँ न कोई ऊँच–नीच होगी, न भेदभाव, केवल प्रेम और समानता। आज जब विश्व में विभिन्न प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन मौजूद हैं, गांधीजी का मानवतावाद वैश्विक समानता की दिशा में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। समाज में धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण की बढ़ती प्रवृत्तियाँ भारत की शक्ति और उसकी "विविधता में एकता" को दर्शाती है। गांधीजी के विचारों से प्रेरित होकर महिलाएँ भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गईं हैं। शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक चेतना के क्षेत्र महिलाओं को जातिगत बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा देते है। वे अपने जीवनसाथी का चयन करने से, न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करती हैं, बल्कि समाज को भी नई दिशा की ओर मार्गदर्शित करती हैं। गांधीजी के समानता, सत्य और प्रेम के सिद्धांत आज भी महिलाओं को सामाजिक परंपराओं से ऊपर उठकर जीवन जीने का साहस देते हैं। औद्याकगीकरण के युग में गांधीजी के विचार अन्तर्जातीय विवाह के सेदर्भ में केवल वैयक्तिक अधिकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार का साधन भी है। आज के भारत में भी, जहाँ जातिगत पहचान सामाजिक रिश्तों को प्रभावित करती है, गांधीजी के विचार सामाजिक परिवर्तन के पथप्रदर्शक हैं। यदि हम उनके आदर्शों को अपनाएँ, तो अन्तर्जातीय विवाह जातिगत भेदभाव समाप्त करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।

संदर्भ सूची

1. गांधी, मोहनदास करमचंद. (1958). ''सत्य के प्रयोग''. नवजीवन प्रकाशन.
2. अम्बेडकर, भीमराव रामजी. (1945). ''महात्मा गांधीः ए बायोग्राफी'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
3. गांधी, एम के. (1936). ''हरिजनः राइटिंग ऑन अनटेचेबिलटी एण्ड कास्ट. नवजीवन पब्लिकेशन हाउस.
4. नंदा, बी. (1985). ''महात्मा गांधीः ए बायोग्राफी''. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रेस.
5. पारेख, बी. (1997). ''गांधीः ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन.'' ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रेस.
6. मदान, टी. एन.(2003). ''द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलिजन इन इंडिया'' ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रेस.
7. महाजन, डी एण्ड के. (2007).''नातेदारी, विवाह एवं परिवार का समाजशास्त्र''. विवेक प्रकाशन, दिल्ली–7.
8. महाजन, डी एण्ड के. (2012).''भारत में समाजः संरचना एवं परिवर्तन''. विवेक प्रकाशन, दिल्ली–7.
9. शर्मा, आर. एन. (2015). ''इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज'', अटलांटिक पब्लिशर्स.
10. कुमार, एस. (2021). ''इंटर कास्ट मैरिज एंड सोशल चेंज इन इंडियाः ए गांधीयन पर्सपेक्टिव.'' जनरल ऑफ सोशल साइंस, 45(3), 122–135.
11. मिश्रा, रमेश चंद्र. (2016). ''भारतीय समाज और गांधी विचारधारा'', राजकमल प्रकाशन.
12. पारेख, बी.(1989). ''गांधीज पॉलिटिकल फिलोसोफीः अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन. नॉटरी डैम प्रेस.
13. भार्मा, आर. (2018). ''भारत में अन्तर्जातीय विवाहः एक सामाजिक अध्ययन''. सेग पब्लिकेशन.
14. नंदा, एम.(2010). ''द गॉड मार्केटः हाउ ग्लोबलाइलेशन इज मेकिंग इण्डिया मोर हिन्द. रैण्डम हाउस इण्डिया.
15. गवर्मेंट ऑफ इण्डिया. (1954). ''द स्पेशल मैरिज एक्ट,1954''. मिनिस्टरी ऑफ लॉ एण्ड जस्टिस.